मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या आपने इस पर भी विचार किया है कि इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा जाय, गृह मंत्रालय की मारफत राज्य सरकारों पर दबाव डलवायें कि इस तरह के आफेन्स करने वाले लोग कहीं किसी तरह से जुर्माने और माल की जब्ती से ही न छूटें बल्कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही भी हो।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, रेलवें 19 करोड़ टन माल की ढुलाई करती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की अनस्कुपुलस एक्टिविटीज़ में इन्डल्ज होते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : आज तो उनकी तादाद काफ़ी हो गई है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सब बेईमान हैं, लेकिन चन्द जरूर बेइमान हैं जो बेईमानी करके नाजायज फायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये हमने फैसला किया है कि टाइम को कम कर देंगे। अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट आई तो उसको दूर किया जा सकता है।

लेकिन जहां तक रेलवे की वैगन्ज के इस्तेमाल का ताल्लुक है अगर इनके इस्तेमाल में कोई रुकावट पैदा होती है तो उसको दूर करने के लिये, जैसा मेम्बर साहब ने कहा है, हम को कानून में कोई तरमीम लानी पड़ेगी और वह तरमीम हम जरूर लायेंगे, क्योंकि बदले हुए हालात के तेहत अगर कानून न बदला जाय तो वह कानून बेकार हो जाता है।

13.24 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-EIGHTH AND TWENTY-NINTH REPORTS

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I beg to present the folowing Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Twenty-eighth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fourteenth Report on the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Reservations for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in (i) the Hindustan Steel Limited (Headquarters Organisation); (ii) Bhilai Steel Plant; (iii) Rourkela Steel Plant; (iv) Durgapur Steel Plant; and (v) Bokaro Steel Limited.

(2) Twenty-ninth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Nineteenth Report on the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)—Reservation for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in selected Major Ports *viz.*, Bombay, Mormugao and Cochin on West Coast; and Madras, Visakhapatnam and Calcutta on East Coast

---

13.26 hrs.

PETITION *RE* NATIONALISATION OF PLANTATION INDUSTRY AND TRADE

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West): I beg to present a petition signed by Shri Rattan Lal Brahman, Vice-President, All-India Plantation Workers Federation, Calcutta, and others regarding nationalisation of plantation industry and trade.

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 668 *RE* UNIFORMITY IN SELECTION ETC. OF VICE-CHANCELLORS

MR. SPEAKER: Prof. Nurul Hasan may lay the statement on the Table.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): I beg to lay on the Table a statement correcting the reply given to Parts (b) and (c) of Starred Question No. 668 on 15th April, 1974 by Shri N. C. Parashar regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors.

Statement

In reply to Parts (b) and (c) of the Starred Question No. 668 asked by Shri N. C. Parashar on April 15, 1974 in this House regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors, it was stated that the age of retirement of Vice-Chancellors of Central Universities is 65 years. The position stated was slightly incorrect. While necessary provision for the retirement of the Vice-Chancellors at the age of 65 years has been made in the Statutes of the Aligarh Muslim University, Delhi University, Jawaharlal Nehru University, North-Eastern Hill University and the Visva-Bharati, proposal for making a similar provision in the Statutes of the Banaras Hindu University is still under consideration.

It is regretted that the inaccuracy could not be detected earlier.

13.28 hrs.

RE CONDUCT OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के सामने यह बात बड़ी सोच-समझ कर कह रहा हूं—मेरे पास एक-आध मेम्बर ने लिख कर भी भेजा है, एक मेम्बर साहब ने जबानी भी बात की है, अपोजीशन के और इधर के मेम्बरों ने भी कहा है—इस हाउस के एक मेम्बर कुछ दिन हुए किसी गलत हालत में इस हाउस में आ गये और काफ़ी शोर शराबा किया। चेयरमैन ने भी अपना खुलासा करवाने के लिये कहा—चलो, मेरी गलती थी, छोड़ जाइये। मैंने इस बारे में कुछ मेम्बर्स से सलाह की है कि क्या करना चाहिये। किसी ने भी उसको एप्रूव नहीं किया कि ऐसा कन्डक्ट होना चाहिये मेरे पास दो-तीन दफ़ा पहले भी शिकायतें आई हैं कि ऐसी हालत में किसी बिजनैसमैन के पास चले गये, कभी होटल में चले गये . . .

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने ग्राण्ड होटल में बैठ कर थियेटर किया था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बहुत सी शिकायतें मेरी नोटिस में आई थीं, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा था, फिर भी उनको बेनिफिट दे दिया गया—कुछ पी कर वह बैठते हैं। लेकिन बढ़ते-बढ़ते काम ज्यादा खराब हो गया कि वह अन्दर तक भी पहुंचे। तो मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि मैं इस के बारे में एक्शन लेने के लिये सोच रहा हूं। मैंने सोचा कि इतना ही कह दूं, नाम नही लेता, सभी जानते हैं, देखिये दुनिया में घर बैठे कुछ करते हैं, बाहर भी कुछ करते हैं और आजकल तो किसी से कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन हाउस में आ कर ऐसे करें मैं इसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूं। बाहर हो जाये तो उसकी रेमेडी भी अवेलएबिल है पुलिस के हवाले किये जा सकते हैं, लेकिन हाउस के अन्दर तो मैं और हाउस ही एक्शन ले सकते हैं। इसलिये कुछ अच्छी बात नहीं जंची। तीन साल से तीन-चार मर्तबा शिकायत आयी, पहले कहीं बिजनेसमैन के पास चले गये यह नहीं दोगे, वह नहीं करोगे, मुझे कहा गया। लेकिन कुछ हद होनी चाहिये। बाहर होते-होते हाउस में अब आ गये, और बेचारे चेयरमैन ने अपनी खलासी कराने के लिये गले से उतारी बात।इसलिये दोनों तरफ से मुझ को कहा गया। यह न सोचिये कि इसमें मैं चुप बैठा मैं हूं। सोच रहा हूं कि क्या करना चाहिये।